कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–1305 /FP/UK/ROAD/32670/2018 देहरादूनः दिनांकः26 नवम्बर, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत बादसी गोलकधाम खाण्ड मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.89 है0 वन भूमि हस्तानान्तरण के प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के संबध में।
(ऑनलाईन पस्ताव सं0–(FP/UK/ROAD/32670/2018)।

संदर्भः– सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/19/2020/एफ0सी0/1169, दिनांकः–04–09–2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती की पत्र संख्या–929/12–1 दिनांक 01–12–2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण :	
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1800 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी । जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पौधालय स्कीम की प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1800 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 23,95,800.00 की धनराशि जमा कर दी गयी है तथा वन विभाग द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा(संलग्नक–1)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा, इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या–202/ 1994 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मत्रालय द्वारा पत्रांक– 5–1/1998–एफ0सी0 (pt.2) दिनाक 18.09.2003,5–2/2006–एफ0 सी0 दिनांक 03.10.2006 एव 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.89 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायलय के दिशानिर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 0.89 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु रू0 7,52,050.00 की धनराशि जमा कर दी गियी है।(संलग्नक–1)
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायलय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इसका शपथ पत्र दिया गया है जो कि सलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक–2)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रतयावर्तित वनभूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 132 पेडों से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (htpp;//Parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तिरित किये जायेंगें।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	स्रक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों से निश्चित दूरी पर सडक से साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगें।	उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाऐगा।
11	पर्यावरएण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।(संलग्नक–2)
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	परियोजना कार्य के निश्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

DEVELOP

	अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल संख्या– 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्त अभिकरण पूर्वदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियो के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित/अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	टनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (htpp;//Parivesh-nic-in/) अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

1305

संख्या : /FP/UK/ROAD/32670/2018तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र सं 929/12–1, दिनांक–01.11.2021 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशीं

भवदीय,

O/C

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।